

राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

क्रमांक: प.14(1)संसद/2022

जयपुर, दिनांक: 19/12/2023

परिपत्र

- प्रेषिति : 1. समस्त सम्भागीय आयुक्त,
2. समस्त जिला कलेक्टर्स, राजस्थान

विषय:-संसद एवं विधान सभा सदस्यों/भूतपूर्व संसद एवं विधानसभा सदस्यों के निधन की सूचना भिजवाने बाबत।

16वीं राजस्थान विधानसभा का प्रथम सत्र दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 से प्रारम्भ हो रहा है। सत्र के प्रारम्भ एवं सत्र के दौरान वर्तमान एवं पूर्व विधायकों के दिवंगत होने पर सदन द्वारा शोकाभिव्यक्ति व्यक्त की जाती है।

संसद एवं विधान सभा के वर्तमान सदस्यों/भूतपूर्व संसद एवं विधानसभा सदस्यों के निधन की सूचना जिला प्रशासन द्वारा तुरन्त न भिजवाये जाने पर सदन व माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा ने गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए इसे गम्भीरता से लेने के निर्देश दिये हैं। इस परिपत्र के माध्यम से समस्त जिला कलेक्टर्स को विशेषतः यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपने स्तर पर यह सुनिश्चित कर लें कि गत सत्र के अनिश्चित काल तक स्थगित होने की दिनांक 02.08.2023 के पश्चात् दिवंगत माननीय सांसद/पूर्व सांसद/माननीय विधायक/पूर्व विधायकों के निधन की सूचना, यद्यपि पूर्व में उनके स्तर से भिजवा दी गयी हो तब भी, पुनः राजस्थान विधान सभा सचिवालय को भिजवाकर पुष्टि कर लें कि निधन संबंधी सूचना राजस्थान विधान सभा सचिवालय में प्राप्त हो गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि इस विषय को प्राथमिकता देते हुए इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करें कि जिले में दिवंगत माननीय सांसद/पूर्व सांसद/माननीय विधायक/पूर्व विधायक के निधन संबंधी सूचना निर्देश के अनुरूप तत्काल फ़ैक्स द्वारा राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर में पहुंच जाए ताकि सत्र के दौरान दिवंगत आत्मा को सदन द्वारा शोकाभिव्यक्ति व्यक्त की जा सके। सूचना की एक प्रति संसदीय कार्य विभाग को भी पृष्ठांकित की जावे। इस कार्य में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए अन्यथा प्रकरण सदन के निर्देश के अनुरूप समुचित कार्यवाही हेतु माननीय मुख्य सचिव महोदय के ध्यान में ला दिया जायेगा।

(राजस्थान विधान सभा सचिवालय का फ़ैक्स नं. 2744333 एवं प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं संसदीय कार्य विभाग का फ़ैक्स नं. 2227916 है)

(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, संसदीय कार्य विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त दिशा-निर्देश संसदीय कार्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें। साथ ही, समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स, राजस्थान को ई-मेल के माध्यम से भी सूचित कराने का श्रम करावें।
8. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव

Signature valid



Digitally signed by Gyan Prakash Gupta
Designation : Principal Secretary To
Government
Date: 2023.12.19 13:47:48 IST
Reason: Approved